संख्या–5302/52–3–09–सा(4)/07

प्रेषक,

मुहम्मद अखलाक खाँ,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

1120
22.12.09

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, **लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 09**

विषयः–अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1682/52–3–07–सा(4)/07टी0सी0 दिनांक 26.09.07 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.09.07 की शर्तो/दिशा निर्देशों में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत संशोधिन किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

	वर्तमान व्यवस्था	**लागू की जाने वाली संशोधित व्यवस्था**
1	**आवेदन हेतु प्रात्रता**	
(ख)	इस योजनान्तर्गत आवेदक का उ0प्र0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा निराश्रित विधवाओं एवं अपंगों की पुत्रियों की शादी के मामले में शीर्ष वरीयता दी जायेगी। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, सिख ईसाई, बौध, पारसी एवं जैन समुदाय तक ही सीमित होगी।	(ख) इस योजनान्तर्गत आवेदक का उ0प्र0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा निराश्रित विधवाओं, अपंगों, भूमिहीन एवं दैवीय आपदा से ग्रसित लोगों की पुत्रियों की शादी के मामले में शीर्ष वरीयता दी जायेगी। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौध, पारसी एवं जैन समुदाय तक ही समिति होगी।
(ग)	शादी योग्य पुत्री, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, के द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो।	(ग) शादी योग्य पुत्री, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, के द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो। आयु की

G.O.

		पुष्टि हेतु हाईस्कूल सर्टीफिकेट, ग्राम पंजायत/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ, यदि उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
(5)	**वित्तीय सहायता का वितरण एवं लेखा रखना**	
(ग)	इस प्रस्तर के संबंध में शासनादेश संख्या–2363/52–3–08–सा(4)/07 दिनांक 31.10.08 द्वारा निम्न प्राविधान किया गया है :– (1)–प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद उसके समाप्त होने की कोई अवधि निर्धारित न की जाय। (2)–प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित न की जाय, परन्तु ऐसे मामले जहॉ पुत्रियों की शादी हो चुकी है प्रार्थना पत्र दिये जाने की समय सीमा शादी के उपरान्त छः माह तक रखी जाय। (3)–प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने के बाद शादी की तिथि से उनकी वरीयता निर्धारित करते हुए उपलब्ध धनराशि में से उसका वितरण किया जाय।	(ग) इस योजनान्तर्गत जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नानुसार किया जायेगा :– (1)इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सभी लम्बित प्रार्थना पत्र निरस्त माने जायेंगे। यदि समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष में होने वाले विवाह के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हें निरस्त नहीं माना जायेगा बल्कि संबंधित माह में प्रार्थना पत्रों के साथ उन पर विचार किया जायेगा। (2) शादी हेतु अनुदान के प्रार्थना पत्रों की प्रतिमास माह के प्रथम सप्ताह में बैठक करके इस प्रकार निस्तारित किया जायेगा कि आवेदक को शादी से पूर्व अथवा विलम्बतम शादी के दिवस को रु0 10,000.00 का चेक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, खण्ड

		विकास अधिकारी, तहसीलदार या जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पुत्री के पिता/माता अथवा अभिभावन (जैसी स्थिति हो) को स्वयं उपस्थित होकर हस्तगत कराया जाय तथा अनुदान वितरण में विलम्ब कदापि न होने पाय।

3— शासनादेश संख्या—1682/52—3—07—सा(4)/07 टी0सी0 दिनांक 26.09.07 की शेष शर्तें/दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

4— मुझे यह भी स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार संशोधन से शासनादेश संख्या—2363/52—3—08—सा(4)/07 दिनांक 31.10.08 का औचित्य समाप्त हो जाता है, अतः उक्त शासनादेश दिनांक 31.10.08 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

5— उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—11—2306/दस—09 दिनांक 15.12.09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक खाँ)
उप सचिव

संख्या— (1)/52—3—09तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2—समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
3—समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
4—समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
5—वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय।
6—वित्त ई—11/नियोजन अनुभाग—3।
7—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक खाँ)
उप सचिव

G.O.

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
620, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 202/अ0सं0क0नि0–227/नियो0/पुत्री की शादी/2007–09 दिनांक 22,अप्रैल, 2010

विषय अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के शासनादेश संख्या 1401/64–2–2009–1(66)/06 टी0सी0 दिनांक 9 सितम्बर, 2009 (छाया प्रति संलग्न), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिये आर्थिक सहायता नियमानुसार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्तर से दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में संलग्न शासनादेश संख्या 1401 दिनांक 9 सितम्बर, 2009 का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत पूर्व में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या 5302/52–3–09–सा(4)/07 दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शादी हेतु अनुदान के प्रार्थना पत्रों की प्रतिमास माह के प्रथम सप्ताह में बैठक करके नियमानुसार निस्तारित किया जाये तथा इसकी सूचनाओं योजनान्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की दो तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– यथोपरि

भवदीय,

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि'– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
निदेशक

संख्या- 1401/64-2-2009-1(66)/06 TC

प्रेषक,

के0एल0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 9 सितम्बर,2009

विषयः- अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-417/पि0व0क0/2008-09, दिनांक 16-5-2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हैं कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिए जाने की योजना कार्यान्वित है। चूँकि अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में अल्पसंख्यक समुदाय के कई वर्ग/जातियाँ भी सम्मिलित हैं, अतः उन्हें इस योजना का लाभ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से नियमानुसार मिलना चाहिए।

2- उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों को उनकी पुत्रियों की शादी एवं बीमारी योजना से लाभान्वित किया जाये।

3- योजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभान्वित व्यक्ति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अथवा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में से किसी एक विभाग से ही अनुदान प्राप्त कर सके।

भवदीय,

(के0एल0 मीना)
प्रमुख सचिव ।

OS/Sri Santosh Gupta

AO
09/09/09

संख्या तथा दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7. नियोजन अनुभाग-3

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव ।